

यूको बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)



UCO BANK

(A Govt. of India Undertaking)

Zonal OFFICE: NCR Plaza, New Cantt. Road, Dehradun

सम्मान आपके विश्वास का
Honours Your Trust

संपत्ति बिक्री की ई-निलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनःनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफ़ेसी अधिनियम) के अन्तर्गत बैंक को प्रभारित अचल व चल राष्ट्रियों की ई-नीलामी बिक्री।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनःनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन बैंक को बंधक रखी संपत्तियों की नीलामी यूको बैंक के ग्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकृत प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) मांग सूचना एवं दर्शाइ राशि व्याज एवं खर्च भुगतान करने हेतु जारी की गई थी ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं एवं इसके पश्चात प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित खातों के समक्ष दर्शायी तिथि को बंधक रखी संपत्तियों का कब्जा प्राप्त कर लिया है एवं उक्त अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अधीन जो है जैसे है जहा है एवं जो कुछ भी है के आधार पर” निन् यनि त संपत्तियों की विक्री करने का फैसला किया है। बिक्री अधोहस्ताक्षरित द्वारा देवाराइट पर ई-आहरण लेटफार्म पर की जायेगी।

शाखा का नाम	मूल ऋणी का नाम	गारन्टर का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि मांग नोटिस की तिथि	आरक्षित मूल्य	आरक्षित मूल्य 10%	ई-नीलामी की तिथि व समय
शाखा काशीपुर इन्डस्ट्रीयल इंस्टेट	श्रीमति सुनीता रानीं शर्मा पल्ली श्री अशोक कुमार शर्मा धीरनखेड़ा, काशीपुर	अशोक कुमार नाथ मुत्र श्री लेखराज 198 फसियापुरा टैक के सामने दडियाल रोड, काशीपुर।	रामरा सम्पादित जो टाईटल डोड दिनांक 20.01.2011 बहि नं. 1, जिल्हे नं 2387, क्रमांक 762 पेज नं 97 से 108 तक कुल सौ 820 वर्ग फिट या 76.21 चार्ट मी. श्रीमती सुनीता शर्मा पन्नी श्री अशोक कुमार शर्मा धीरनखेड़ा उद्धमसिंह नगर।	₹ 0 6,93,103.00 + व्याज + अन्य खर्च	₹. 5,50,000/-	₹. 55,000/-	दिनांक 03.12.2018 प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक

ऑनलाइन निविदा / नीलामी वेबसाइट : <https://ucobank.auctiontiger.net> के द्वारा ऑनलाइन नीलामी / विडिग के माध्यम से दिनांक 03.12.2018 को दोपहर 11.00 बजे से 1:00 बजे तक (आईएसटी) 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ होगी। (2). इच्छुक निविदाकर्ता की ईमेल आइडी होनी आवश्यक है। (3). इच्छुक निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अपनी विड जमा करने एवं ई-नीलामी में भाग लेने स पहले, विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> से प्राप्त करें। (4). इच्छुक निविद कर्ता को ई-नीलामी की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मै ३० प्रक्युर्मेंट टेक्नोलॉजी लिं (आवश्यन टाइगर) अहमदाबाद मै ० मर्सी सागर, श्री रिकिन, श्रीमती शर्मा पन्नी श्री अशोक कुमार के पांच दिन पहले सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक शाखा अधिकारी से पहले समय लेकर कर सकते हैं। (5). बाली फार्म की एल प्रति ऑनलाइन संलग्नक के साथ (जिसमें यूटीआर नं. का लल्लेख हो) ग्राधिकृत अधिकारी, यांको बैंक, अचल कार्यालय एवं नरसीआर प्लाजा, देहरादून-248001 के पास जमा करना होगा या इनकी रॉफ्ट कॉमी मेल आईडी kaship@auctiontiger.co.in पर नेल करनी होगी। (10). बिड मूल्य जो जमा करना है वह आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिये एवं बिड्स बोली वृद्धि मूल्य ₹ 0 10000/- के गुणांक में बढ़ायें। (11). सफल बिड्स को बिड मूल्य का प्रतिशत (जमा की गयी अप्रीम जमा घनराशी (ईएमडी) को मिलाकर) ई-नीलामी विक्री सनात होने के पश्चात उसी दिन तकाल नियम से 7 में दिये गये माध्यम से जमा लग्ना होगा। ऐसे देय ५० प्रतिशत धनराशी ई-नीलामी विक्री के 15 दिनों के अन्दर जमा करनी होगी। (12). यदि राकूल बालीकर्ता ऊपर दिये गये नोटिस के अनुसार खरीद मूल्य जमा करने में जराफ़त होता है तो बालीकर्ता द्वारा जमा राशि जब हो जायेगी। (13). असफल बालीकर्ता की अप्रीम जमा घनराशी (ईएमडी) ई-नीलामी विक्री समाप्त होने के पश्चात लौटा दी जायेगी। (14). विक्री बैंक की ग्राहित के अधीन है। यदि ऋणी/ जमानतदार बलाया राशि नीलामी से पूर्व जमा कर देते हैं तो विक्री निरस्त हो जायेगी। (15). ई-नीलामी जहा है जोसा तथा जहा है जो भी है के आधार पर आयोजित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी तथा सूचना के अनुसार भार सही नहीं है। यद्यपि इच्छुक विक्री को अपनी विड प्रत्युत्ति से पहले सम्पत्ति को प्राप्तिकरण करने वाले ऋण भार नीलाम की जाने वाली सम्पत्तियों/ के टाईटल तथा दावे/ अधिकार/ बकाया के सम्बन्ध में अपनी ज्ञातत जाव करवानी चाहिये। सम्पत्ति बैंक के बर्ताना तथा भवेष्य के जाने-अनजाने ऋण भार सही बंधते जा रही हैं। प्राधिकृत अधिकारी/ सिक्योर्ड क्रेडिटर तीसरी पार्टी के दावे/ अधिकार/ बकायों करके लिये किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। (16). अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार एवं वेष्टक है कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के बिड को रवोकर/ अरवीकार कर राकता है विक्री को रखगिरि/ टाल/ रद्द कर राकता है एवं नियम व शर्तों वदल राकता है। (17). फ्रेता को रटाप ड्यूटी शुल्क, विक्री प्रमाण पत्र पंजीकरण शुल्क एवं सम्पत्ति से स्वाक्षरत वर्तगान एवं गविष्य के सभी सरकारी कर एवं दर वहन करना होगा। विक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बालीकर्ता के नाम पर जारी होगा। (18). विक्री सरफ़ो अधिनियम/ नियम 2002 में उल्लिखित शर्तों एवं ऊपर अकित शर्तों के अधिन है। (19). अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी, श्री नीरज कुमार सिंघल, यूको बैंक, अचल कार्यालय, एनसीआर प्लाजा, देहरादून, मो. 9459983645, 8219785886 फोन नं. 0135-2742812 पर सम्पर्क कर सकते हैं। (20). नोटिस विशेष रूप से ऋणी/ चांगों, जमानतदार/ रों एवं सामान्य रूप से आम जनता के लिए भी है।

स्थान : काशीपुर

दिनांक : 31.10.2018

प्राधिकृत अधिकारी